

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक 25 जून, 2016 को अपराह्न 1:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्य परिषद की आपात बैठक की कार्यवाही :-

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :-

1. प्रो० जे०वी० वैशम्पायन, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	अध्यक्ष
2. प्रो० सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, 18/377, इन्द्रा नगर, लखनऊ- 226016	सदस्य
3. डॉ० सुधीर कुमार अवस्थी, संकायाध्यक्ष, लाइफ साइंस, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
4. प्रो० नन्दलाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
5. प्रो० मुकेश रंगा, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
6. प्रो० आर० सी० कटियार, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
7. डॉ० मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
8. डॉ० अंशु यादव, उपाचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्या
9. डॉ० संदीप कुमार सिंह, उपाचार्य, प्रौढ एवं सतत शिक्षा प्रसार विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
10. डॉ० शकील अहमद, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम डिग्री कालेज, कानपुर	सदस्य
11. डॉ० आर०के० सिंह, प्राचार्य, वाई.डी. कालेज, लखीमपुर-खीरी	सदस्य
12. श्री आर०के० गुप्ता, वाणिज्य विभाग, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर	सदस्य
13. डा० (श्रीमती) निरंजना शुक्ला, मनोविज्ञान विभाग, जुहारी देवी गर्ल्स पी०जी० कालेज कानपुर	सदस्य
14. श्री सय्यद वकार हुसैन, वित्त अधिकारी/कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्य परिषद के उपस्थित सदस्यों सहित नवनियुक्त सदस्य प्रो० मुकेश रंगा, प्रो० आर० सी० कटियार, डा० मुनेश कुमार का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मद सं०-1: वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.06.2016 की संस्तुति के अनुमोदन पर विचार ।

परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.06.2016 की संस्तुति को सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए समिति के प्रस्ताव संख्या-1 के Examination fee Ordinance for UG/PG Courses के निम्न अध्यादेश प्रारूप (Draft Ordinance)-

“

Examination fee Ordinance for UG/PG Courses

Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur

ORDINANCE

Whereas it is necessary to charge examination fee from the students appearing in different university examinations to meet the expenses of

examination and other administrative charges. The University is making the following ordinances.


1. By virtue of powers given to the Executive Council under section 7 (14), 21(iii) and (viii), 51(2)(j) and 52(3)(c) of the U.P. State Universities Act 1973, the following fee structure, as recommended by the Finance Committee, is being approved by the Executive Council of the Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur.

S.No.	Class	Faculty/Stream	Examination Fee (In Rupess) (Per Exam)	Practical/Viva Voce (Additional) in Rupess
1.	Graduation	Arts, Commerce, Science, Agriculture	Rs. 685/-	Rs. 100
2.	Post Graduation	Arts, Commerce, Science, Agriculture	Rs. 835/-	Rs. 100
3.	B.Ed.		Rs. 1300/-	-
4.	M.Ed.		Rs. 1700/-	-
5.	LL.B & B.A.LL.B.		Rs. 1020/-	-
6.	M.Sc.	All professional courses except Mathematics, Physics, Zoology, Botany, Chemistry	Rs. 1500/-	-
7.	B.Sc.	Nursing Post Basic	Rs. 1000/-	-
8.	B.Sc.	Nursing (4 Year Course)	Rs. 3000/-	-
9.	MBBS		Rs. 7500/-	-

	BAMS/BUMS		Rs. 7500/-	-
	BDS		Rs. 7500/-	-
10.	M.Ch/P.G. Diploma (Medical)		Rs. 10000/-	-
11.	MD/MS		Rs. 11500/-	-
12.	DM		Rs. 15000/-	-
13.	Semester Courses in University Campus and Colleges other than B.Sc. (Ag.)		Rs. 1500/-	-
14.	Annual Courses in University Campus		Rs. 3000/-	-
15.	Private Exam.	Graduation	Rs. 1200/-	-
16.	Private Exam.	Post Graduation	Rs. 1500/-	-
17.	Back Paper		Rs. 500/- per paper	-

2. In accordance with section 52(5), of the Act, this fee structure will be effective from the academic session 2012-13.
3. On account of this ordinance, no additional fee will be charged or paid from the student for any short or access payment already made after this ordinance comes into effect.
4. As per section 52(3)(c) of the Act, this draft of the ordinance will be sent to the State Government for its approval before it is communicated to the Hon'ble Chancellor of the University.

को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया ।



मद सं०-2: भवन समिति की बैठक दिनांक 24.06.2016 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार ।

परिषद ने भवन समिति की बैठक दिनांक 24.06.2016 की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। भवन निर्माण समिति के पुरुष छात्रावास के निर्माण प्रस्ताव पर परिषद ने मत व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा RUSA के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को आवंटित धनराशि का लागू नियमों के अन्तर्गत यथासंभव उक्त मद में उपयोग किया जाय ।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

मद सं०-1: स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर Web Registration Number (WRN) जनरेट करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में परिषद को संसूचित किया जाना ।

परिषद को संसूचित किया गया ।


मद सं०-2: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की कार्यवाही एवं उपभोग के सम्बन्ध में परिषद को संसूचित किया जाना ।


परिषद को संसूचित किया गया ।

मद सं०-3: विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु के सम्बन्ध में विचार सम्बन्धी शासन के पत्र संख्या-268/सत्तर-1-2016-16(56)/2016, दिनांक 14 जून, 2016 को परिषद को संसूचित किया जाना ।

परिषद को संसूचित किया गया ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।


(प्रो० जे०वी० वैशम्पायन)
कुलपति/अध्यक्ष


(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव/सचिव